न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 234/2023

उनवान

1. प्रेमदेवी जाट पुत्री हीरा जाट निवासी सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. संतोष देवी जाट पुत्री हीरा जाट निवासी सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. हीरा पुत्र सवाईराम जाट निवासी सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. जोधा पुत्र सवाइ राज जाट निवासी सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. रामा पुत्र सवाईराम जाट निवासी सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्रीमति लाडू पत्नि सुखा जाट निवासी सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. शंकर पुत्र सुखा जाट निवासी सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
7. उपपंजीयक पंजीयन कार्यालय भीलवाडा।

. विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

उपस्थितः
1. अधिवक्ता प्रार्थीगण पृथ्वीराज चौधरी
2. विपक्षीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही

:: निर्णय ::

दिनांक 15.03.2024

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 की पुत्रीया होकर व सवाईराम पुत्र धन्ना जाट की पौत्रीया होकर प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस व उत्तराधिकारी है। ग्राम सबलपुरा प0ह0 हलेड भू0अ0नि0 क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 262/2, 269/1, 71/2 कुल किता 03 क्षेत्रफल 1.3278 हैक्टेयर भूमि जो राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 263 रकबा 0.1012 हैक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 का 1/4 हक हिस्सा निहित है, इसी प्रकार ग्राम भोली प0ह0 भोली भू0अ0नि0 आटूण तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 1171, 1182, 1714/1185 कुल किता 03 रकबा 1.0242 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर विपक्षी संख्या 01 का 1/4 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। उपरोक्त आराजियात प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 की पैतृक आराजियात होकर प्रार्थीगण के दादा सवाईराम पुत्र धन्ना जाट की होकर विरासत से विपक्षी संख्या 1 व अन्य के नाम पर दर्ज हुई। विपक्षी संख्या 01 प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से शक्ति के बल पर बेदखल करने पर आमादा है एवं किसी अन्य को रहन विक्रय, हस्तानान्तरण, खुर्द बुर्द करने पर उतारू है, वादग्रस्त आराजियात को बिना विभाजन कराये ही विक्रय करने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है यदि ताः फैसला वाद विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताः फैसला वाद ग्राम सबलपुरा के आराजी नम्बर 262/2, 269/1, 71/2 कुल किता 03 क्षेत्रफल 1.3278 हैक्टेयर भूमि जो राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 263 रकबा 0.1012 हैक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 का 1/4 हक हिस्सा निहित है, इसी प्रकार ग्राम भोली प0ह0 भोली भू0अ0नि0 आटूण तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 1171, 1182, 1714/1185 कुल किता 03 रकबा 1.0242 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर विपक्षी संख्या 01 का 1/4 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है, जिसके संबंध में विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि उक्त आराजियात को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तानान्तरण आदि नही करे व विपक्षी संख्या 07 उपरोक्त आराजियात के दस्तावेज का पंजीयन नही रके एवं विपक्षी संख्या 06 राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन नही करे, विपक्षीगण मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण के नोटिस जारी किये गये, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामील प्राप्त हुए, विपक्षीगण उपस्थित नही, विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस के दौरान प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बताया कि ग्राम सबलपुरा के आराजी नम्बर 262/2, 269/1, 71/2 कुल किता 03 क्षैत्रफल 1.3278 हैक्टेयर भूमि जो राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 263 रकबा 0.1012 हैक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 का 1/4 हक हिस्सा निहित है, इसी प्रकार ग्राम भोली प0ह0 भोली भू0अ0नि0 आटूण तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 1171, 1182, 1714/1185 कुल किता 03 रकबा 1.0242 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर विपक्षी संख्या 01 का 1/4 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है, जिसके संबंध में विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि उक्त आराजियात को अन्य को रहन, विक्रय, हस्तानान्तरण आदि नही करे व विपक्षी संख्या 07 उपरोक्त आराजियात के दस्तावेज का पंजीयन नही रके एवं विपक्षी संख्या 06 राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन नही करे, विपक्षीगण मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया, प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन् किया गया। वादग्रस्त ग्राम सबलपुरा प0ह0 हलेड भू0अ0नि0 क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 262/2, 269/1, 71/2 कुल किता 03 क्षैत्रफल 1.3278 हैक्टेयर भूमि जो राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 263 रकबा 0.1012 हैक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 का 1/4 हक हिस्सा निहित है, इसी प्रकार ग्राम भोली प0ह0 भोली भू0अ0नि0 आटूण तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 1171, 1182, 1714/1185 कुल किता 03 रकबा 1.0242 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर विपक्षी संख्या 01 का 1/4 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है, विपक्षी संख्या 01 प्रार्थीगण के पिता होकर सवाईराम पुत्र धन्न जाट की पौत्रीया है जो प्रथम श्रैणी की विधिक वारिस होने से उपरोक्त आराजियात में हक हिस्सा प्राप्त करने का जन्म सिद्व अधिकार है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, वादग्रस्त आराजियात विपक्षी संख्या हीरा पुत्र सवाई राम जाट के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से उपरोक्त भूमि को विकय, हस्तानान्तरण, रहन, खुर्द बुर्द करने से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर वादग्रस्त आराजियात के संबंध में विपक्षी संख्या 01 एवं विपक्षी संख्या 6 व 7 के विरूद्व ता:फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित है अतः एवं

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का स्वीकार किया जाकर ग्राम सबलपुरा प0ह0 हलेड भू0अ0नि0 क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा के आराजी नम्बर 262/2, 269/1, 71/2 कुल किता 03 क्षैत्रफल 1.3278 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 263 रकबा 0.1012 हैक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 1 का 1/4 हक हिस्सा निहित है, एवं ग्राम भोली प0ह0 भोली भू0अ0नि0 आटूण तहसील भीलवाडा के आराजी नम्बर 1171, 1182, 1714/1185 कुल किता 03 रकबा 1.0242 हैक्टेयर भूमि में विपक्षी संख्या 01 का 1/4 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है के संबंध में विपक्षी संख्या 01 एवं विपक्षी संख्या 6 व 7 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उपरोक्त आराजियात को रहन, विक्रय, हस्तानान्तरण, पंजीयन नही करे एवं राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन नही करे मौका व रेकार्ड की यथास्थिति मूलवाद के ता:फैसला तक बनाये रखी जावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम करे।

निर्णय आज दिनांक 15.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा